फैक्स / ईमेल / तत्काल

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक 292 /29–1(1) देहरादून दिनांक, 25 फरवरी, 2015

सेवा में,

1. मुख्य वन संरक्षक / निदेशक, कार्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल
3. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
4. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी
5. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी
6. प्रभागीय वनाधिकारी, अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, गोपेश्वर
7. प्रभागीय वनाधिकारी, गोविन्द वन्यजीव विहार पुरोला
8. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

विषय : **समूह "घ" के पदों पर विनियमितिकरण हेतु दिनांक 29.06.1991 से पूर्व के दैनिक श्रमिकों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच।**

सन्दर्भ : **प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड का पत्रांक ख–1346 / 29–3(3) दिनांक 21.02.2015.**

महोदय,

उक्त सन्दर्भित पत्र से समूह "घ" के पदों पर विनियमितिकरण हेतु आपके कार्यालयो से सम्बन्धित दैनिक श्रमिकों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच हेतु दिनांक 23.02.2015 की तिथि निर्धारित की गई है किन्तु नैनीताल वन प्रभाग तथा गढवाल वन प्रभाग के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्यालय से कोई भी कार्मिक सम्बन्धित अभिलेखों के साथ जांच हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं।

कई कार्यालयों द्वारा इस कार्यालय को दूरभाष पर अवगत कराया गया है कि उनके यहां कार्यारत दैनिक श्रमिकों से सम्बन्धित समस्त अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण उन्हें अतिरिक्त समय प्रदान किया जाय। ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न कार्यालयो द्वारा अपने यहां कार्यरत दैनिक श्रमिको के अभिलेखों का निरीक्षण तथा परीक्षण किये बिना ही दैनिक श्रमिकों की विनियमितीकरण हेतु पात्रता सूचियाँ इस कार्यालय को प्रेषित की गई हैं।

उक्त प्रकरण पर दिनंक 08.03.2015 तक हुई प्रगति से माननीय उच्च न्यायलय, उत्तराखण्ड नैनीताल को अवगत कराया जाना है। अतः आप से अपेक्षा की जाती है कि अपने कार्यालयों से सम्बन्धित दैनिक श्रमिकों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच हेतु तत्काल इस कार्यालय को उपल्बध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में तद्नुसार उत्तराखण्ड शासन तथा माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया जायेगा।

भवदीय,

25.02.2015

(मोनिष मल्लिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
मा0सं0वि0 एवं का0प्र0
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 292 /29–1(1) तददिनांकित।

प्रतिलिपि अन्य समस्त सम्बंधित कार्यालयों को इस आशय से प्रषित कि वे निर्धारित तिथि को अपने कार्यालयो से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच हेतु तत्काल इस कार्यालय को सम्बधित अभिलेख उपल्बध कराना सुनिश्चित करें।

25.02.2015

(मोनिष मल्लिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
मा0सं0वि0 एवं का0प्र0
उत्तराखण्ड, देहरादून।

क्रमशः

पत्रांक 892 /29–1(1) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को इस आशय से प्रेषित कि वे निर्धारित कार्यालयों से सम्पर्क कर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जांच कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें –

1. श्री एस0पी0 शर्मा, सहायक वन संरक्षक/वन्यजीव प्रतिपालक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून।
2. श्री वी0के0 सिंह, सहायक वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इंदिरा नगर, देहरादून।
3. श्री नीरज शर्मा, सहायक वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
4. श्री बी0के0 श्रीवास्तव, सहायक वन संरक्षक, कार्यालय मा0सं0वि0 एवं का0प्र0,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. श्री डी0पी0 बलूनी, सहायक वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
6. श्री रंगनाथ पाण्डे, सहायक वन संरक्षक, अलकनंदा भू0सं0व0प्र0, गोपेश्वर।
7. श्री नवीन चन्द्र भट्ट, सांख्यिकीय अधिकारी, कार्यालय नि0एवंवि0 प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. श्री विमलकुमार, सांख्यिकीयअधिकारी, कार्यालय अनुश्रवण,मूल्यांकनएवंऑडिट, उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. श्री अजय प्रकाश यादव, सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

25.02.2015

(मोनिष मल्लिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
मा0सं0वि0 एवं का0प्र0
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 892 /29–1(1) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के सूचनार्थ प्रषित

25.02.2015

(मोनिष मल्लिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
मा0सं0वि0 एवं का0प्र0
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 892 /29–1(1) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, आई0टी0 सेल को समस्त कार्यालयों को ईमेल से प्रेषित करने तथा वेबसाइट पर विनियमितीकरण 2015 के फोल्डर में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25.02.2015

(मोनिष मल्लिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
मा0सं0वि0 एवं का0प्र0
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक
प्राप्ति सं0 1993
पत्रावली सं0 325
दि0 25/2/15
उत्तराखण्ड–देहरादून

श्री निखिल द0 संबंधित कार्यालयों को पत्र e-mail से भेजें।
28/2/15
उ0व0सं0 (IT)